44/14 राजस्व वाद

श्रीमती वादी v/s तीरा

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18	वादिया वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 RTA Act बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खुराया परवार हल्का खुरास तहसील माण्डल के खाता संख्या 218 के आराजी नंबर 981/1 रकबा 0.05 बीघा, 990/1 रकबा 0.04 बीघा, 993/1 रकबा 0.03 बीघा, 994/1 रकबा 0.02 बीघा, 995 रकबा 0.04 बीघा, 1017/1 रकबा 0.05 बीघा, 1302/1 रकबा 1.00 बीघा, 1329/1 रकबा 0.07 बीघा, 1330/1 रकबा 0.10 बीघा 1352 रकबा 0.07 बीघा, 1356 रकबा 0.07 बीघा, 1362/1 रकबा 0.17 बीघा कुल किता 12 रकबा 4.11 बीघा कृषि भूमि खातेदार श्री नन्दा पिता देबीलाल ओड के नाम दर्ज रेकार्ड थी जिसे वादिया ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.7.07 को तादादी एक लाख रुपये मे क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया। वर्तमान मे वादिया के नाम अधिकार के रूप मे चली आ रही है। वाद पत्र मे उक्त विवादग्रस्त भूमि वादिया के हक अधिकार, स्वामित्व की है किन्तु प्रतिवादीगण की नियत मे वादिया की भूमि को हड़प करने का फितुर पैदा हो गया और वादिया को मौके से बेदखल करने पर आमादा है। उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि नन्दा पिता देबीलाल ओड के नाम निर्णय व डिक्री के जरिये दर्ज होकर विभाजन की डिक्री से स्वतंत्र रूप से नंदा पिता देबीलाल के खाते मे दर्ज हुई जिसे वादिया ने विधिवत रूप से क्रय कर मौके पर काबिज है जब कि वादिया को कोई नोटिस व सूचना दिये बिना ही उक्त भूमि से वादिया का नाम हटाने की कार्यवाही तहसीलदार माण्डल द्वारा की जाकर रेकार्ड मे परिवर्तन किया जाकर वादिया को मौके से बेदखल करने पर आमादा है तथा वादिया की भूमि मे अवैध रूप से प्रतिवादीगण कब्जा करने व सड़क निर्माण करने पर आमादा है। वादिया ने उक्त विवादग्रस्त आराजियात के उपयोग उपभोग एवं काश्त करने मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा व रुकावट न तो स्वयं उत्पन्न करे व न अन्य किसी से करावे। तथा मौके पर सड़क का निर्माण नही करे व न ही वादिया को मौके से बेदखल करे। इस बाबत् वादिया ने राहत प्रदान हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया। जबकि प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी 191 का प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादिया ने वादग्रस्त आराजियात नन्दा पिता देबी ओड से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की है। किन्तु आराजियात पर विक्रेता का कब्जा ही	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

नही था और न ही कोई हित व हिस्सा ही था। नन्दा पिता देवी ओड को प्रकरण संख्या 50/2005 राजस्व वाद से जो हिस्सा 1/6 प्राप्त हुआ उस निर्णय व डिक्री को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने खारिज करदिया और उक्त निर्णय व डिक्री के अनुक्रम मे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30.9.2011 को परिवर्तित प्रविष्टियो को विलोपित कर पूर्व की स्थिति बहाल करने का आदेश प्रदान कर दिया। इस लिए वादिया रेकार्डड खातेदार नही है उसे धारा 188 R.T. Act के तहत वाद लाने का अधिकार नही है ऐसी स्थिति मे आधारहीन व तथ्यहीन प्रकृति के मुकदमे के विचारण से व्यथित व्यक्तियो को विचारण नही भुगताया जा सकता है और ऐसे मुकदमे को कुचलने का विहित पक्षकारो को अधिकार है। अतः आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी 151 व प्रकरण संख्या 50/2005 के अन्तर्गत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 30.09.2011 के प्रकाश मे वादिया का वाद पत्र पोषणीय नही होने काबिज खारिज होने योग्य है। अत एवं

:: निर्णय ::

उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज व साक्ष्यो के आधार पर तथा पत्रावली मे उभयपक्षो की सुनी गई बहस के आधार पर वादिया रेकार्डड खातेदार ही नही है एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.9.2011 के अनुसार नन्दा पिता देवीओड के खातेदारी अधिकार ही खत्म कर दिये जाने से विहित पक्षकारो को विचारण नही होकर प्रतिवादीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का स्वीकार किया जाता है। फरिकैन खर्चा अपना-अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा